# Press Council of India

# National Awards for Excellence in Journalism

**Freedom with responsibility…..National Awards for honouring journalists excelling in print journalism in various fields…..**

# Press Council of India

## National Awards For Excellence in Journalism

### 1. Introduction

The Press Council of India has been mandated by the Parliament to improve the standards of journalism and maintain its freedom. This, it has been ensuring through its adjudications as well as pronouncements and reports on specific issues.

To encourage the media to pursue its duties effectively without fear or terror following the dictum of 'freedom with responsibility', the Press Council of India, as the only statutory authority enjoying such mandate, proposes to institute National Awards to honour journalists excelling in print journalism in various fields in the calendar year, 2013 (w.e.f. January 1, 2013 to December 31, 2013) and intends to follow the tradition.

Whereas one main Award, 'Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism' in honour of one of the greatest reformer journalists of the country, carries a cash award of Rupees One Lakh, a plaque and a citation and remaining awards in the fields of Rural Journalism, Developmental Reporting, Women Empowerment, Photo-Journalism (i) Single News Picture and (ii) Photo Feature and Urdu Journalism etc., carry Rupees fifty thousand each, a plaque and a citation. The Press Council of India will honour the journalists selected by the jury for having excelled in various fields on the occasion of National Press Day, 16th November.

## 2. Categories of Awards

1. **Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism**
2. **Rural Journalism**
3. **Developmental Reporting**
4. **Stree Shakti**
5. **Photo Journalism**
   - **(i) Single News Picture**
   - **(ii) Photo Feature**
6. **Urdu Journalism**

## 3. Eligibility

1. Open to all journalists/freelancers of Indian nationality. The nomination of journalist employed with a newspaper to be made by the editor of the newspaper/news agency, who shall declare that the journalist being nominated has been in regular employment of the newspaper/news agency for the preceding calendar year. He/She should have contributed at least 10-15 reports/photographs with bye line in the given year which should be attached to the entry form. The nomination to be counter signed by the nominated journalist. Freelancers entering self-nomination may also file a self attested declaration with the above documents.

2. Joint Declaration by the editor and nominated journalist or by freelancer that the material taken into consideration for award is the sole creation of the journalist/photo-journalist and was first published in the preceding calendar year and all rights of the material vest in the newspaper/journalist/photo-journalist.

3. Language Paper articles should be translated in English /Hindi.

4. All photo entries must include a caption either in English or Hindi translation thereof.

5. Each entry must also document journalist's/photo-journalist's professional status.

6. Entries should highlight one specific report/photograph that the nominee desires to be considered for citation.

7. Awards are not open to sitting members of the Council.

## 4. Criteria

1. The Council will issue advertisement in newspapers alongwith Press Release and Notice on the Website of the Council inviting the entries in prescribed format (Entry Form, Declaration Forms and Rules) along with the CV of the nominated journalist/ photo-journalist from the Editors of Registered Newspaper.

2. Names of Selected Candidates will be announced by November 2nd, 2014.

3. Selected candidates to be awarded on National Press Day i.e. 16 November, 2014.

## 5. Selection Procedure

A jury comprising of six members of the Council including a Presiding Officer along with three non-members from the fields of journalism will finalise the names of the winners.

The jury shall have the discretion to recommend that an award in any particular category may not be given if they are of the opinion that the entries in that category are not of the required standard and to thereafter recommend the change of the category.

The decision of the jury shall be final and binding and no appeal or correspondence shall be entertained regarding their decision.

## 6. Contact:

The Secretary
Press Council of India
8, CGO Complex, Soochna Bhawan
2nd Floor, Lodhi Road
New Delhi- 110 003

E-mail:- pcibppeditorial@gmail.com, secy-pci@nic.in

**Entry Form**

1. Full Name of Editor of Nominating Newspaper/ News Agency……………….........................................................................

2. Full Name of the Nominee…………………………………………

3. Gender: M/F…………………………………………………………

4. Date of Birth……………………………………………………….

5. Educational/Professional Qualifications……………………………….

6. Experience…………………………………………………………

7. Category in which being nominated: (only one per person)

| | | |
|---|---|---|
| I. | Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism | ( ) |
| II. | Rural Journalism | ( ) |
| III. | Developmental Reporting | ( ) |
| IV. | Stree Shakti | ( ) |
| V. | Photo Journalism | |
| | (a) Single News Picture | ( ) |
| | (b) Photo Feature | ( ) |
| VI. | Urdu Journalism | ( ) |

8. Nominated journalists/photo-journalists professional details be attached. (Scanned material may also be e-mailed)

9. Address: (Office)………………………………………………………….

(Resi.)……………………………………………………………

Email Address………………………………………………..

Mobile No. …………………………………………………...

**(Signature of the Nominee/**

**Freelancer)** **(Signature of the Editor)**

Full Name …………………………….

Name of the Newspaper/News Agency….

Address of the Newspaper/News Agency…

E-mail Address………………………………

Entry form, Declaration forms and Rules be downloaded from the Press Council of India's website www.presscouncil.nic.in or obtained from the Press Council Secretariat (Deputy Secretary, Room No. 147, Ist Floor, Soochna Bhawan, 8 -C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110 003)

Advance soft copies can be sent to The Secretary, Press Council of India with nominations at e-mail address secy-pci@nic.in

**Please note:**

**All entries addressed to the Secretary, Press Council of India, Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110 003 in sealed envelope marked "CONFIDENTIAL" to reach her on or before October 10, 2014 (till 5.00 p.m.).**

**No entry received after 05.00 p.m. on 10.10.2014 will be entertained.**

**Declaration**
**On the Organizations' letter head**

On behalf of ___________________________, I, (Full Name of Editor of the Newspaper/News Agency), S/o_________________R/o_____________ certify that the material taken into consideration for award is the original creation of the journalist/photo-journalist and was first published in the preceding calendar year and all rights of the material vest in the newspaper/journalist/photo-journalist.

Place: (Signature of the Editor of
Date: the Newspaper/News Agency)

**Declaration of Nominee/Freelancer**

I (Full Name)…………………S/o…………………… R/o……………………………………. do hereby solemnly affirm that the material taken into consideration for award is my original creation and was first published in the preceding calendar year and all rights of the material vest in me/my newspaper.

Place: (Signature of the Nominee /Freelancer)

Date:

# Rules for National Awards for Excellence in Journalism

1. There is no fee for submission of an entry.
2. Each entry shall be made in the manner and with the forms and enclosures mentioned herein.
3. The Awards are open to all journalists of Indian nationality employed on a regular basis in registered newspaper across the country and also the freelancers except the sitting members of the Council.
4. The entry submitted must be from the Editor of a Registered Newspaper/News Agency and the freelancers on their own.
5. The original articles/photographs submitted of the publication/coverage must indicate the publication date.
6. Any significant challenge to the veracity, accuracy, fairness, or authenticity or objection to significant omission of any entry such as published letters, corrections, clarifications, retractions, should be included.
7. The entry must disclose if the article/photograph is a subject matter of the legal dispute/proceedings. The Jury and/or the Press Council of India may require the nominee to furnish additional information/explanation in such case.
8. No more than one entry for the same journalist/photo-journalist may be submitted. No newspaper/news agency may have more than one entry in each category.
9. Winners who have received awards two times for the same article/photograph will not be eligible for nomination.
10. An English translation must be supplied for an entry in regional language.
11. A sponsoring letter of nomination should be submitted, signed by the Editor of the newspaper/news agency.
12. Incomplete entry form and enclosures, torn, ripped and or mutilated will automatically invalidate the entry and disqualify the nominee.
13. The article/photograph entered must have been published in the preceding calendar year.
14. The nominees will be deemed to have read and understood the rules and regulations when they sign the entry form.
15. The Press Council of India have full right and license to announce the prize winners and in pursuance thereof or otherwise to cover the National Awards for Excellence in Journalism, publish the content of the material and/or biography sketch with or without the photograph and with or without the name of the newspaper/news agency, which have been submitted.
16. The material and entry form once submitted shall become the property of the Press Council of India.
17. The decision of the jury appointed by the Press Council of India shall be final and binding. No correspondence will be entertained by the Press Council of India.

18. The names of the winners and the prizes will be announced by the Press Council of India. The date of announcement of results and the place for distribution of the prizes will be at the sole discretion of the Press Council of India.
19. The Press Council of India reserves its right to suspend, cancel, or modify the rules and regulations for these Awards at any time and without prior notice.
20. No claim of whatsoever nature shall be entertained if the winner(s) fail(s) to collect the Prize(s) at the Awards ceremony and/or venue specified by the Press Council of India or within two months thereof.
21. New Delhi Courts shall have exclusive jurisdiction.
22. The Award categories and criteria are specified at www.presscouncil.nic.in. Complete entries should be submitted to The Secretary, Press Council of India, Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110 003.

# भारतीय प्रेस परिषद्

# उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार

## 1. प्रस्तावना

भारतीय प्रेस परिषद् को पत्रकारिता के स्तरों में सुधार करने और इसकी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए संसद से अधिदेश प्राप्त है | परिषद् विशिष्ट मुद्दों पर अपने अधिनिर्णयों के साथ-साथ रिपोर्टो और निर्णयों के माध्यम से यह कार्य, करती रही है |

„‡ã‹¦ã 'दायित्व के साथ स्वतंत्रता' के अनुसरण में मीडिया को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे अधिदेश प्राप्त एकमात्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में, भारतीय प्रेस परिषद् का विभिन्न क्षेत्रों में प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृष्टता प्राप्त पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने, जोकि 2013 से प्रभावी है, और इस परंपरा का अनुसरण करने का प्रस्ताव है ।

उत्कृष्ट पत्रकारिता राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार' देश के महान सुधारक पत्रकारों में से एक के सम्मान में जारी किये जाने वाले मुख्य पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्लाक और एक प्रशस्ति पत्र है और ग्रामीण पत्रकारिता, विकास संबंधी रिपोर्टिंग, स्त्री शक्ति, भारतीय भाषायी रिपोर्टिंग, फोटो-पत्रकारिता के साथ-साथ उर्दू पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में दिये जाने वाले अन्य पुरस्कारों में प्रत्येक में पचास हजार रुपये, एक प्लाक और एक प्रशस्ति पत्र हैं | विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जूरी द्वारा चयनित पत्रकारों को भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 16 नवंबर-राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा |

## 2. पुरस्कारों की श्रेणियॉ

**1. राजा राम मोहन राय उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार**

**2. ग्रामीण पत्रकारिता**

**3. विकास संबंधी रिपोर्टिंग**

**4. स्त्री शक्ति**

**5. फोटो पत्रकारिता**

**(i) सिंगल न्यूज़ पिक्चर**

**(ii) फोटो फीचर**

**6. उर्दू पत्रकारिता**

## 3. पात्रता

1. भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी पत्रकार/स्वतंत्र पत्रकार इसमें भाग ले सकते हैं | समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के संपादक द्वारा समाचारपत्र में रोज़गार प्राप्त पत्रकार का नामांकन करते हुए यह घोषणा की जाएगी कि नामित किया जा रहा पत्रकार पिछले कैलेंडर वर्ष से समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के नियमित रोजगार में है | दिये गये वर्ष में उन्होंने बाय लाईन सहित कम से कम 10-15 रिपोर्टों/फोटोग्राफों में योगदान दिया हो | नामांकन पर नामित पत्रकार द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जायें | स्व-नामांकन कर रहे स्वतंत्र पत्रकार भी स्व अनुप्रमाणित घोषणा दाखिल करें |

2. संपादक और नामित पत्रकार अथवा स्वतंत्र पत्रकार द्वारा संयुक्त घोषणा की जाएगी कि पुरस्कार हेतु विचाराधीन सामग्री पत्रकार/फोटो-पत्रकार की एकल रचना (सृजन) है और इसे पिछले कैलेंडर वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था और इस संबंध में समाचारपत्र/पत्रकार/फोटो-पत्रकार को सभी अधिकार प्राप्त हैं |

3. क्षेत्रीय भाषा संबंधी कागज़ लेख अंग्रेजी/हिंदी में अनूदित होने चाहिए |

4. सभी फोटो प्रविष्टियों में शीर्षक का अंग्रेजी/हिंदी में अनुवाद अवश्य दें |

5. प्रत्येक प्रविष्टि में पत्रकार/फोटो-पत्रकार की वृत्तिक स्थिति भी दें |

6. प्रविष्टियां एक विशिष्ट रिपोर्ट/तस्वीर को उजागर करें, जिसपर प्रशस्ति पत्र के लिए नामिति की इच्छानुसार विचार किया जायेगा

7. परिषद् के वर्तमान सदस्य पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे |

# 4. मानदंड

1. परिषद् समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करेगी और परिषद् की वैबसाइट पर प्रेस प्रकाशनी और नोटिस दिये जायेंगे जिनमें पंजीकृत समाचारपत्र के संपादकों से नामित पत्रकारों/फोटो-पत्रकार की सी वी सहित निर्धारित फार्मेट (प्रवेश पत्र, घोषणा प्रपत्र और नियम) में प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जायेंगी |

2. चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 02 ¶ãÌã½ºãÀ, 2014 को की जायेगी |

3. चयन किये गये उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिये जायेंगे|

# 5. चयन प्रक्रिया

जूरी में परिषद् के छह सदस्य होंगे जिनमें एक पीठासीन अधिकारी सहित पत्रकारिता क्षेत्रों से तीन गैर सदस्य होंगे जोकि विजेताओं के नामों को अंतिम रूप देंगे |

यदि जूरी की राय (मत) यह हो कि किसी विशेष श्रेणी में प्रविष्टियॉ अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उन्हें यह संस्तुति करने का अधिकार होगा कि उस श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया जायेगा और इसके बाद वह श्रेणी बदलने की संस्तुति/सिफारिश कर सकती है |

जूरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा उनके निर्णय के संबंध में किसी अपील अथवा पत्रचार पर विचार नहीं किया जाएगा |

## 6. संपर्क करें :


सचिव

भारतीय प्रेस परिषद्

8, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, सूचना भवन

दूसरा तल, लोदी रोड,

नई दिल्ली :110003

ईमेल:- pcibppeditorial@gmail.com, secy-pci@nic.in

# प्रविष्टि पत्र

1. नामित करने वाले समाचारपत्र/समाचार एजेंसी का पूरा नाम ---------------------------

2. नामिती का पूरा नाम ------------------------------------

3. लिंग : पुरूष/स्त्री ----------------------------------------

4. जन्म तिथि ---------------------------------------------

5. शैक्षणिक/वृत्तिक योग्यता --------------------------------

6. अनुभव --------------------------------------------------

7. श्रेणी जिसमें नामांकन किया जा रहा है : (प्रत्येक श्रेणी में केवल एक व्यक्ति)

**I.** राजा राम मोहन राय उत्कृष्ट
पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार ( )

**II.** ग्रामीण पत्रकारिता ( )

**III.** विकास संबंधी रिपोर्टिंग ( )

**IV.** स्त्री शक्ति ( )

**V.** फोटो पत्रकारिता
(क) सिंगल न्यूज़ पिक्चर ( )
(ख) फोटो फीचर ( )

**VI** उर्दू पत्रकारिता ( )

8. नामित पत्रकारों/फोटो-पत्रकारों का वृत्तिक विवरण संलग्न करें । (स्कैन की गयी सामग्री भी ईमेल कर सकते हैं)

9. पता : (कार्यालय) -----------------------------------------------------------------
(निवास स्थान) ------------------------------------------------------------
ईमेल पता ----------------------------------------------------------------
मोबाईल नं0 ---------------------------------------------------------------

**(नामिती/स्वतंत्र पत्रकार**
**के हस्ताक्षर)** **(संपादक के हस्ताक्षर)**

पूरा नाम ------------------------------------------------------

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी का नाम ------------------

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी का पता -------------------

ईमेल पता --------------------------------------------

प्रवेश पत्र, घोषणा पत्रों और नियमों को भारतीय प्रेस परिषद् की वैबसाइट www.presscouncil.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है या प्रेस परिषद् सचिवालय (अवर सचिव, संपादकीय, कमरा नं0 353, तीसरा तल, सूचना भवन, 8 सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) से प्राप्त कर सकते हैं ।

अग्रिम सॉफ्ट प्रतियॉ, सचिव, भारतीय प्रेस परिषद् को ईमेल पते secy-pci@nic.in पर नामांकनों सहित भेजी जा सकती हैं ।

## कृपया ध्यान दें :

**सभी प्रविष्टियॉ सचिव, भारतीय प्रेस परिषद्, सूचना भवन, 8-सीसीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को मुहरबंद लिफाफे में 'गोपनीय' चिन्हित कर 10 अक्तूबर, 2014 को अथवा इससे पूर्व (शाम 5.00 बजे तक) भेजें ।**

**10 अक्तूबर, 2014 को शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त किसी भी प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**

# <u>संगठन पत्र शीर्ष पर</u>

-------------------------------------------------की ओर से, मैं (समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के संपादक का पूरा नाम), पुत्र/श्री ----------------------------------------------
निवासी ------------------------------------------------------ प्रमाणित करता हूँ कि पुरस्कार हेतु विचाराधीन सामग्री पत्रकार/फोटो पत्रकार का एकल सृजन (रचना) है और पिछले कैलेंडर वर्ष में उसे पहली बार प्रकाशित किया गया था और इस संबंध में समाचारपत्र/पत्रकार/फोटो-पत्रकार को सभी अधिकार प्राप्त हैं ।

स्थान : (समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के

दिनांक : संपादक के हस्ताक्षर)

# <u>नामिती/स्वतंत्र पत्रकार की घोषणा</u>

मैं (पूरा नाम) -------------------------------------पुत्र/श्री ----------------------निवासी --------------------------------------------------- सत्यनिष्ठापूर्वक अभिपुष्टि करता हूँ कि पुरस्कार हेतु विचाराधीन सामग्री मेरा एकल सृजन (रचना) है और पिछले कैलेंडर वर्ष में उसे पहली बार प्रकाशित किया गया था और इस संबंध में मुझे/मेरे समाचारपत्र को सभी अधिकार प्राप्त हैं ।

स्थान : (नामिती/स्वतंत्र पत्रकार के हस्ताक्षर)

दिनांक :

# उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नियम

1. प्रविष्टि प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है ।

2. प्रत्येक प्रविष्टि सही ढंग से और इसमें उल्लिखित प्रपत्रों और अनुलग्नकों सहित की जाएगी ।

3. परिषद् के वर्तमान सदस्यों को छोडकर संपूर्ण देशभर में पंजीकृत समाचारपत्र में नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार पुरस्कारों के पात्र हैं ।

4. प्रस्तुत प्रविष्टि अवश्य ही एक पंजीकृत अखबार/समाचार एजेंसी के संपादक द्वारा की जानी चाहिए और स्वतंत्र पत्रकार स्वयं करे ।

5. प्रकाशन/कवरेज के प्रस्तुत किये गये मूल लेख/फोटोग्राफ में प्रकाशन तिथि का संकेत अवश्य दें ।

6. किसी प्रविष्टि जैसे प्रकाशित पत्रों सुधारों, स्पष्टीकरणों,अस्वीकरणों को सांकेतिक रूप से हटाने अथवा उनकी सच्चाई, सटीकता निष्पक्षता या प्रामाणिकता को लेकर की गयी किसी महत्वपूर्ण चुनौती को शामिल किया जाना चाहिए ।

7. अगर लेख/तस्वीर कानूनी चुनौती/कार्यवाही का विषय गत मामला है तो इसका प्रविष्टि में खुलासा करना चाहिए । इस तरह के मामले में आवश्यकता पड़ने पर जूरी और/ अथवा भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नामांकित व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण देने की मॉग की जा सकती है ।

8. एक ही पत्रकार/फोटो-पत्रकार के लिए एक से अधिक प्रविष्टि न दें । समाचारपत्र/समाचार एजेंसी द्वारा प्रत्येक श्रेणी में एक से अधिक प्रविष्टि न की जाये।

9. विजेता, जो एक ही लेख/तस्वीर के लिए दो बार पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, नामांकन के पात्र नहीं होंगे ।

10. क्षेत्रीय भाषा में प्रविष्टि के लिए अंग्रेजी अनुवाद अवश्य भिजवायें ।

11. नामांकन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसपर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के संपादक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों ।

12. अधूरा प्रवेश फार्म और अनुलग्नकों के फटे हुए विकृत या कटे फटे होने पर प्रविष्टि स्वत: अमान्य हो जाएगी और नामिती को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

13. दिया गया लेख/तस्वीर पिछले कैलेंडर वर्ष में अवश्य प्रकाशित किया गया हो ।

14. यह मान लिया जाएगा कि नामित व्यक्तियों ने प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करते समय नियमों और विनियमों को पढ़ और समझ लिया है ।

15. पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करने, और इसके पालन में अथवा अन्यथा उत्कृष्ट पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कारों को कवर करने के लिए समाचारपत्र/समाचार एजेंसी के नाम जोकि प्रस्तुत किये गये हैं सहित अथवा उसके बिना और फोटोग्राफ सहित अथवा उसके बिना सामग्री और/अथवा जीवनी,संक्षिप्त विवरण के अंश (अंतर्वस्तु) प्रकाशित करने का भारतीय प्रेस परिषद् को पूर्ण अधिकार और लाइसैंस प्राप्त है ।

16. एक बार सामग्री और प्रवेश पत्र दिये जाने पर,वे भारतीय प्रेस परिषद् की संपत्ति बन जायेंगे ।

17. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नियुक्त जूरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । किसी भी प्रकार के पत्राचार पर भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

18. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा पुरस्कारों और विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी । परिणाम की घोषणा की तारीख और पुरस्कार वितरण की जगह के निर्णय का एकमात्र अधिकार भारतीय प्रेस परिषद् को होगा ।

19. किसी भी समय पर और बिना किसी पूर्व सूचना के इन पुरस्कारों के लिए नियमों और विनियमों को रद्द करने, रोकने या संशोधित करने का अधिकार भारतीय प्रेस परिषद् के पास सुरक्षित है ।

20. यदि विजेता, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्दिष्ट पुरस्कार समारोह और/अथवा स्थान पर अथवा इसके दो माह के भीतर पुरस्कार लेने में असफल रहता/रहते है/हैं, तब किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

21. नई दिल्ली न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा ।

22. पुरस्कार श्रेणियों और मानदंड का www.presscouncil.nic.in पर विशिष्ट रूप से उल्लेख है । पूर्ण विवरण सहित प्रविष्टियॉ, सचिव, भारतीय प्रेस परिषद्, सूचना भवन 8 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़ नई दिल्ली-110003. को भेजें ।